

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग


क्रमांक:प.10(1)चिस्वा/2/2019/बी-57

जयपुर, दिनांक: 28-6-19

आदेश


डॉ० भारती पालीवाल, चिकित्सा अधिकारी, आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर का चयन मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में वरिष्ठ प्रदर्शक (पैथोलॉजी) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

  
(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1- निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
- 2- प्रधानाचार्य, आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
- 3- डॉ० भारती पालीवाल, चिकित्सा अधिकारी, आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में देकर इस विभाग को सूचित करें।
- 5- कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।

  
(ओ. पी. वर्मा)  
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प.10(1)चिस्वा / 2 / 2019 / डी-

जयपुर, दिनांक: ०५.०७.१९

आदेश

डॉ० दीपक मीना, चिकित्सा अधिकारी (दंत), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर का चयन मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में सीनियर रेजिडेंट (दंत) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

— ५०८

(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1— निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
- 2— प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
- 3— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
- 4— डॉ० दीपक मीना, चिकित्सा अधिकारी (दंत), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में देकर इस विभाग को सूचित करें।
- 5— कम्प्यूटर सैल / रक्षित पत्रावली।

१०/०६/१९

सहायक शासन सचिव